

# न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

03/2018  
30.01.2018

1-कजोड पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी बेसकी तहसील उनियारा जिला टोंक  
कुल कस-16

..... प्रार्थीगण

बनाम

1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 116 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)  
टोंक

2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई,  
नेशनल हाइवे नं0 116,ए-45 तीरूपति विहार ब्लॉक-ए,छत्रपुरा बून्दी राज0

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री कृष्ण गोपाल शर्मा,अभिभाषक प्रार्थीगण  
(2) श्री रामधन सैनी व श्री दीपक शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 26.12.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 के निर्माण में ग्राम बेसकी तहसील उनियारा की भूमि ख0नं0 110 में से 360 वर्गमीटर व ख0नं0 124 में से 10080 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण सिंचित भूमि की दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड दिनांक 19.05.2017 को निरस्त कर सिंचित भूमि की दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली दिनांक 19.05.2017 की प्रमाणित प्रति तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 110 में से 360 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 124 में से 10080 वर्गमीटर वाके ग्राम बेसकी में अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी



809 -


आरबीट्रेटर  
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116  
(जिला कलेक्टर) टोंक

अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी-2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थीगण सिंचित भूमि का मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अर्वाड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अर्वाड पत्रावली तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख०न० 110 मे से 360 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 124 मे से 10080 वर्गमीटर किस्म जमीन बारानी-2 वाके ग्राम बेसकी का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सिंचित दर से चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद मे साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-116 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



  
(चिन्मयी गोपाल)  
आरबीट्रेटर ~~आरबीट्रेटर~~ 12  
(जिला कलेक्टर) संख्या 116  
(जिला कलेक्टर) टोंक